प्रत्येक नमूनों हेतु कितना भुगतान किया जाएगा?
राज्य सरकारों को प्रत्येक सॉयल नमूने के लिए कुल 190 रू प्रदान किया जाता है। इसमें सॉयल सेम्पलिंग, टेस्टिंग, सॉयल हैल्थ कार्ड सृजन एवं किसानों को वितरण की लागत शामिल है।

स्कीम का कुल परिव्यय क्या है? क्या स्कीम की शुरूआत की गई है?
3 वर्षों की अवधि के लिए स्कीम का कुल परिव्यय 568.54 करोड़ रू है। स्कीम को चालू वर्ष अर्थात 2015-2016 के दौरान सभी राज्यों में शुरू किया गया है।

सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए तीन वर्षों में कितने मृदा नमूनों का परीक्षण किया जाएगा?
मंत्रालय द्वारा अपनाएं गए निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार लगभग 14 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए प्रत्येक तीन वर्षों में 253 लाख सॉयल नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

देशभर में एक समान सॉयल हेल्थ कार्डो की तैयारी के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है?
जी हां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने एकसमान सॉयल हेल्थ कार्ड के सृजन एवं उर्वरक सिफारिशों के लिए एक वैब पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) विकसित किया है जिसके चार माड्यूल हैं:
(क) सॉयल नमूनों का पंजीकरण
(ख) सॉयल परीक्षण प्रयोगशालाओं में नमूनों का परीक्षण।
(ग) सॉयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉंस (एसटीसीआर) समीकरण पर आधारित उर्वरक सिफारिशें।
(घ) एमआईएस रिपोर्ट

कृषि मंत्रालय का कौन सा प्रभाग स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करेगा?
समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) प्रभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग नियमित रूप से राज्यों का दौरा करेगा ओर उन्हें तकनीकी मामलों में दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

संबंधित केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का सम्पर्क सम्बन्धी ब्यौरा ?
केन्द्र सरकार: अपर आयुक्त (आईएनएम) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
फैक्स - 011-23384280, ई मेल- dwivediv@nic.in
राज्य सरकार: राज्य कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी
सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम पर सूचना के लिए www.soilhealth.dac.gov.in या www.agricoop.nic.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्वस्थ धरा, खेत हरा

सॉयल हैल्थ कार्ड
स्वस्थ धरा, खेत हरा

सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम

सत्यमेव जयते

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

सॉयल हैल्थ कार्ड (एसएचसी) योजना क्या है?

यह भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इसका कार्यान्वयन सभी राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से किया जाएगा। सॉयल हैल्थ कार्ड का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की सॉयल के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना है और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक सॉयल सुधारों के संबंध में भी सलाह देना है ताकि लंबी अवधि के लिए सॉयल हैल्थ को कायम रखा जा सके।

सॉयल हैल्थ कार्ड क्या है?

एसएचसी एक प्रिंटिड रिपोर्ट है जिसे किसान को उसके प्रत्येक जोतों के लिए दिया जाएगा। इसमें 12 पैरामीटरों जैसे एनपीके (मुख्य-पोषक तत्व); सल्फर (गौण-पोषक तत्व); जिंक, फेरस, कॉपर, मैगनीशियम, बोरॉन (सूक्ष्म-पोषक तत्व) ; और पीएच, इसी, ओसी (भौतिक पैरामीटर) के संबंध में उनकी सॉयल की स्थिति निहित होगी। इसके आधार पर एसएचसी में खेती के लिए अपेक्षित सॉयल सुधार और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाएगा।

एसएचसी का प्रयोग किसान किस प्रकार कर सकता है?

कार्ड में किसान के जोत की सॉयल पोषक तत्व स्थिति के आधार पर सलाह निहित होगी। इसमें विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में सिफारिशों को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा इसमें किसानों को उर्वरकों और उसकी मात्रा के संबंध में सलाह दी जाएगी जिसका उन्हें प्रयोग करना चाहिए और मृदा सुधारकों की भी स्थिति के बारे में सलाह दी जाएगी जिसे उन्हें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उपज का अनुकूल लाभ प्राप्त किया जा सके।

क्या किसान प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक फसल के लिए एक कार्ड प्राप्त करेंगे?

यह 3 वर्ष के अंतराल के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, जो उस अवधि के लिए किसान की जोत के सॉयल हैल्थ की स्थिति को दर्शाएगा। अगले 3 वर्ष में दिया गया एसएचसी उस अनुवर्ती अवधि के लिए सॉयल हैल्थ में परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने में समर्थ होगा।

नमूने लेने के मानक क्या है?

सॉयल नमूने जीपीएस उपकरण और राजस्व मानचित्रों की मदद से सिंचित क्षेत्र में 2.5 है० और वर्षा सिंचित क्षेत्र में 10 है० के ग्रिड से लिए जाएंगे।

सॉयल नमूने कौन लेगा?

राज्य सरकार उनके कृषि विभाग के स्टॉफ या आउटसोर्स एजेंसी के स्टॉफ के माध्यम से नमूने एकत्रित करेगी। राज्य सरकार क्षेत्रीय कृषि महाविद्यालयों अथवा साइंस कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी शामिल कर सकती है।

सॉयल नमूने लेने का उचित समय क्या है?

क्रमश: रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद सॉयल नमूने सामान्यत: वर्ष में 2 बार लिए जाते है, या जब खेत में कोई फसल न हो।

किसान के खेत से सॉयल नमूने कैसे एकत्रित किए जाएंगे?

सॉयल नमूने "V" आकार में सॉयल की कटाई के उपरांत 15-20 से०मी० की गहराई से एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाएंगे। यह खेत के 4 कोनों और मध्य से एकत्रित किए जाएंगे और पूरी तरह से मिलाए जाएंगे और इसमें से एक भाग नमूने के रूप में लिया जाएगा। छाया वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा। चयनित नमूने को बैग में बंद किया जाएगा और कोड नंबर दिया जाएगा। इसके उपरांत इसे विश्लेषण के लिए सॉयल जांच प्रयोगशाला को भेज दिया जाएगा।

सॉयल जांच प्रयोगशाला क्या है?

यह प्रश्न सं० 2 के उत्तर में दर्शाए गए अनुसार 12 पैरामीटरों पर सॉयल नमूने जांच के लिए एक सुविधा है। यह सुविधा स्थायी, मोबाइल प्रयोगशाला या दूरस्थ क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने हेतु पोर्टेबल भी हो सकती है।

सॉयल नमूनों की जांच कौन और कहां करेगा?

सॉयल नमूने निम्नलिखित तरीके से सहमत किए गए सभी 12 पैरामीटरों पर अनुमोदित मानकों के अनुसार जांच किए जाएंगे:

i. कृषि विभाग के स्वामित्व में एसटीएल पर और उनके स्वयं के स्टॉफ के द्वारा
ii. कृषि विभाग के स्वामित्व में एसटीएल पर परंतु बाह्य सोर्स एजेंसी के स्टॉफ द्वारा
iii. बाह्य सोर्स एजेंसी स्वामित्व एसटीएल पर और उनके स्टॉफ द्वारा
iv. केवीके और एसएयू सहित आईसीएआर संस्थानों पर
v. एक प्रोफेसर /वैज्ञानिक के पर्यवेक्षण के तहत विज्ञान कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं पर विद्यार्थियों द्वारा।

सॉयल हेल्थ परीक्षण की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जायेगी?

राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक प्रयोगशालाओं के परिणामों के विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक वर्ष में जांचे गए कुल नमूनों का 1% "रैफरल प्रयोगशाला में भेजा जायेगा। राज्य सरकारों को आवश्यक रैफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

स्वस्थ धरा, खेत हरा